शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./रा.शि.के./आईईडी/2011–12/1078 भोपाल, दिनांक 30.1.12

प्रति,

श्री पी.डी. दादौरिया
प्रभारी प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान –प्रभातपट्टन
जिला–बैतूल (म.प्र.)

विषयः– कारण बताओ सूचना पत्र ।
संदर्भः– राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क./राशिके/आईईडी/2011–12/269 भोपाल दिनांक 10.1.12 ।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से संस्था प्राचार्य तथा डाइट के आईईडी प्रभारी को दिनांक 24.1.2012 को राज्य शिक्षा केन्द्र में आयोजित डाइट को शिक्षकों के 90 दिवसीय फाउंडेशन कोर्स के अध्ययन केन्द्र बनाने संबंधी समीक्षा बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। दिनांक 10.1.2012 को वीडियो कान्फ्रसिंग में भी इस संबंध में अवगत कराया गया ।

2/– आपके एवं डाइट के आईईडी प्रभारी द्वारा उक्त बैठक में सहभागिता नहीं की गई। इस कारण डाइट को शिक्षकों के 90 दिवसीय फाउंडेशन कोर्स के अध्ययन केन्द्र बनाने संबंधी उन्मुखीकरण प्राप्त नहीं हो सका।

3/– आपका उपरोक्त कृत्य वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की स्पष्ट अवहेलना होकर शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) एवं 2 (ग) के तहत एक गंभीर कदाचरण है। अतः आपको मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 सहपठित 10 (चार) के तहत यह कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाता है कि क्यों न उक्त कृत्य के लिये आपकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शस्ति अधिरोपित की जाए ? इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक उत्तर प्रमाण सहित दिनांक 14.2.2012 तक प्रस्तुत करें । उत्तर अप्राप्त अथवा समाधानकारक नहीं होने की स्थिति में प्रस्तावित शस्ति अधिरोपित की जाएगी।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

पृ.क्र./रा.शि.के./आईईडी/2011–12/1079 भोपाल दिनांक 30.1.12

प्रतिलिपिः–

1 कलेक्टर जिला–बैतूल (म.प्र.)।
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत), जिला– बैतूल (म.प्र.) को सूचनार्थ।
3 सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट www.sss.mp.gov.in/circulars.htm/ एवं एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल